अध्याय XVI: युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय

16.1 अनुदानों की अप्रभावी मॉनीटरिंग

मंत्रालय राष्ट्रमण्डल खेल-2010 से संबंधित अनुदानों के निर्गम को प्रभावीरूप से मॉनीटरिंग करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 191.22 करोड़ की निधियां 17 से 26 महीनों के बीच की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी थी। इसने अनुदानों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संस्वीकृतियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को अनुवर्ती अनुदानें जारी करते समय अव्ययित अनुदानों पर अर्जित कुल ₹ 22.12 करोड़ के ब्याज पर ध्यान देने में विफल रहा।

XIXवें राष्ट्रमण्डल खेल पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2011) कि भा.खे.प्रा. को किए गए निर्गमों को भारत सरकार के खातों में व्यय के रूप में माना गया था। तथापि, अंतिम लागत का पता केवल व्यय विवरणी सहित बिल के निपटान/उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के पश्चात लगेगा। युवा मामले मंत्रालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) को जारी अनुदानों के संबंध में अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने भा.खे.प्रा. को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु अनुदानें जारी करते समय निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की थीः

- निधियों की प्राप्ति पर भा.खे.प्रा. उसे तुरंत कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि को जारी करेगा तथा इस संबंध में मंत्रालय को एक अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

- वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित अनुदान, यदि कोई हो, को भा.खे.प्रा. द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अथवा मंत्रालय द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय को वापस करनी होगी।

- मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से भा.खे.प्रा. द्वारा निधियों को रखा जाने से (जैसा कि मंत्रालय द्वारा मार्च 2008 में पाया गया था) सुनिश्चित रूप से बचना चाहिए।

मंत्रालय तथा भा.खे.प्रा. के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि निम्नलिखित मामलों में रा.म.खे.-2010 हेतु मंत्रालय द्वारा भा.खे.प्रा. को जारी अनुदानें महत्वपूर्ण अवधियों तक अव्ययित पड़ी थी।

अनुदान का उद्देश्य	भा.खे.प्रा. को अनुदान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित पड़ी राशि (₹ करोड़ में)	भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही निधियों की अवधि (महीनों में)
			नवम्बर 2012 को	
वर्ष 2010-11 के लिए स्टेडियम के उन्नयन/नवीकरण हेतु के.लो.नि.वि. को जारी निधियां	सितम्बर 2010	200.00	100.00	26
	मार्च 2011	72.40	22.40	20
वर्ष 2010-11 के लिए भा.खे.प्रा. के स्टेडियम के अलावा परियोजनाओं हेतु के.लो.नि.वि./डी.पी.एस. आर. के. पुरम को जारी निधियां	जून 2011	1.08	0.65	17
	अप्रैल 2011	17.25	17.25	19
	मार्च 2011	0.14	0.14	20
	अप्रैल 2011	0.05	0.05	19
योग		**290.92**	**140.49**	

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-12 के दौरान भा.खे.प्रा. को जारी ₹ 290.92 करोड़ की अनुदान में से ₹ 140.49 करोड़ अर्थात् 48.30 *प्रतिशत* राशि 17 से 26 महीनों के बीच की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास अव्ययित पड़ी थी। यह संस्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अव्ययित अनुदान को वापस करने के मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद निधियां भा.खे.प्रा. के पास रखी थी।

रा.मं.खे.-2010 हेतु भारतीय दल की तैयारी की योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.म.खे.-2010 हेतु भारतीय दल की तैयारी के उद्देश्य हेतु विशिष्ट अनुदानों के मामले में काफी अधिक अव्ययित शेष भा.खे.प्रा. द्वारा रखा गया था। वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	वि.व. की समाप्ति पर अव्ययित शेष (₹ करोड़ में)
2008-09	25	3.98
2009-10	223.77	110.02
2010-11	-	54.93
2011-12	-	50.73

भा.खे.प्रा. द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों की जांच ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2012 को भा.खे.प्रा. के पास पड़े क्रमशः ₹ 54.93 करोड़ तथा ₹ 50.73 करोड़ के अव्ययित शेषों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु वैधीकृत किए जाने की मांग की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानों को विशिष्ट रूप से रा.मं.खे.-2010 के लिए जारी किया गया था, तथा मंत्रालय द्वारा अव्ययित अनुदानों के पुनः वैधीकरण हेतु कोई औचित्य नहीं था क्योंकि खेल अक्तूबर 2010 में समाप्त हो गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. ने रखी गई निधियों से सावधि जमा के रूप में किए गए निवेशों पर ₹ 22.12 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। फिर भी मंत्रालय ने अनुवर्ती अनुदान जारी करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भा.खे.प्रा. ने ब्याज को अपनी स्वयं की आय के रूप में माना। ₹ 22.12 करोड़ के कुल ब्याज में से, ₹ 6.30 करोड़ को भा.खे.प्रा. के मुख्य खाते में अंतरित किया गया था (मार्च 2012)। भा.खे.प्रा. ने इस कार्य को इस आधार पर उचित ठहराया कि वह मंत्रालय से कमी के आधार पर अर्थात् भा.खे.प्रा. की प्रत्याशित प्राप्तियों का उपदान करने के पश्चात, गैर-योजनागत अनुदानें प्राप्त करता है। तथापि, यह उत्तर वैध नहीं है क्योंकि निधियां खिलाड़ियों की तैयारी के विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए प्रदान की गई थी। इस प्रकार रा.मं.खे.-2010 के बाद उस पर अर्जित ब्याज सहित उनका रखा जाना अनियमित था।

इसलिए, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को जारी अनुदानों के उपयोग को प्रभावी रूप से मॉनीटर करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, निधियां लम्बी अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।